

उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1335/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(63)-2010

लखनऊ::दिनांक: 10 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008), की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में दिनांक 10 सितम्बर, 2010 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 94 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
94	सभी प्रकार के पाईप जिसमें जी0आई0 पाईप, सी0आई0 पाईप, डक्टाईल पाईप, पी0वी0सी0 पाईप आदि एवं फिटिंग्स सम्मिलित हैं।

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।